क्रम संख्या : 662
CIPA-R1.11.00

प्रथम सूचना रिपोर्ट

पुस्तक नम्बर : 4

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला : LUCKNOW थाना : GOMTI NAGAR वर्ष : 2012 प्र.सू.रि.सं. : 606 दिनांक : 31-12-

2. अधिनियम: धारा (धाराएँ):
   (i) भारतीय दंड संहिता 292/293/294
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. अपराध की घटना : अज्ञात समय व दिनांक :
   (क) दिन : दिनांक से : दिनांक तक :
   समय अवधि : समय से: समय तक :
   (ख) पुलिस थाने पर प्राप्त सूचना : दिनांक : 31-12-2012 समय : 15:30 hrs
   (ग) रोजनामचा संदर्भ : प्रविष्टि संख्या : 24 समय: 15:30 hrs

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थल:
   (क) पुलिस थाने से दिशा व दूरी : बीट नम्बर : 05
   (ख) पता : 5/426विराम खण्ड, गोमती नगर लखनऊ
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, उस
   पुलिस थाने का नाम : जिला :

6. परिवादी/सूचना देने वाला :
   (क) नाम : अमिताभ ठाकुर
   (ख) जन्म दिनांक/वर्ष : राष्ट्रीयता : भारत
   (ग) पासपोर्ट नम्बर . जारी करने की दिनांक : जारी करने का स्थान :
   (घ) व्यवसाय :
   (ङ) पता : 5/436 विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें): (3)
   (i) गायक हनी सिंह पता अज्ञात
   (R/O)
   (ii) बादशाह साथी हनी सिंह पता अज्ञात
   (R/O)
   (iii) दिलजीत दोसांझ साथी हनी सिंह पता अज्ञात
   (R/O)

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण :

9. चुराई हुई/संलिप्त सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

क्रम संख्या	सम्पत्ति का प्रकार(विवरण)	अनुमानित मूल्य (रुपये)	वस्तु स्थिति
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य :

11. मर्ग सूचना/अप्राकृतिक मृत्यु केस नम्बर, यदि कोई हो तो :

12 . प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

नकल तहरीर हिन्दी वादी
सेवा में थाना प्रभारी थाना गोमती नगर,जनपद लखनऊ,विषय-श्री हनी सिहं नामक एक गायक द्वारा गाये गए और खुलेआम प्रसारित होने
वाले अत्यंत भद्दे, अश्लील, स्त्री की लज्जा का अनादर करने वाले गानों के सम्बन्ध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु महोदय कृपया अनुरोध
है कि मै अमिताभ ठाकुर (स्थायी पता-निवासी 5/426, विराम खण्ड, गोमती नगर लखनऊ) पेशे से एक आईपीएस अधिकारी हूं. मै आपके
समक्ष एक पंजाबी गायक श्री हनी सिहं द्वारा अन्य लोगों, जिनके नाम श्री बादशाह,श्री दिलजीत दोसांझ बताए जाते है, के साथ मिलकर गाये
कुछ ऐसे गानों के बोल इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न पर प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अश्लील, भद्देपन,ओछेपन, गंदेपन की समस्त सीमाओं को पार
करते हैं. इनमे एक गाना "मै हूँ बलात्कारी" तथा दूसरा "कैंदे पेचायिया पिन्दान ने तेरी मारी" है. इन दोनों गानों के बोलको पढने मात्र से यह
साबित हो जाता है कि ये अश्लील, गंदे और अशिष्ट हैं और इस प्रकार आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आते है. मैने स्वयम इन गानों के बोल देखे
हैं और इनमे कुछ गानों को सुना भी हैं जिनके आधार पर मै कहता हूँ कि ये गाने अत्यंत अश्लील उत्तेजक और अभद्र होने के कारण आईपीसी
की विभिन्न धाराओं 292,293,294तथा 509 आईपीसी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी मे आते है. इस प्रकार के गाने समाज मे महिलाओं के
प्रति असम्मान तथा गम्भीर अपराध बढाने के उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं और सामाजिक रूप से पूर्णतया वर्जित प्रकार के हैं जिनका समाज
पर मात्र बुरा असर ही पडता है . अतः इस प्रकार महिलाओं के प्रति घृणित शब्दावली का प्रयोग कर महिलाओं के प्रति अपराध को उत्प्रेरित
करने वाले अश्लील गाना गाने और अन्य प्रकार से सम्बद्ध हो कर लाभ कमाने वाले लोग किसी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नही हो सकते और
इनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है. अतः मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उपरोक्त आपराधिक कृत्य के
संज्ञेय अपराध होने के कारण धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत इनके सम्बन्ध मे उपयुक्त तथा विधिसम्मत धाराओं मे प्रथम सूचना रिपोर्ट
अंकित कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें. मै विशेषकर निवेदन करूँगा कि महिलाओं के प्रति किये गए इस इस अत्यंत गंभीर
अपराध के सम्बन्ध मे एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना संभवतः स्वय भी गंभीर अपराध होगा.पत्र संख्या-AT/HS/Song/01 दिनाक-
31/12/2012भवदीय ह०अपठनीय (अमिताभ ठाकुर) 5/426, विराम खंड, गोमतीनगर, लखनऊ 9415534526 संलग्नक-2 गानों
के बोल (3 पृष्ठ)
लेखक-CC4721 आनन्द कुमार सिंह थाना गोमती नगर लखनऊ
दिनांक31/12/2012

13 . की गई कार्यवाही (चूँकि उक्त सूचना द्वारा, मद संख्या 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है):

(i) मामला रजिस्टर्ड किया गया व अनुसंधान आरम्भ किया गया

या

(ii) श्री/श्रीमति/कुमारी(अनुसंधान अधिकारी का नाम): राजेश कुमार सिंह

पद : SI

नम्बर : 65516120

को अनुसंधान आरम्भ करने के निर्देश दिये गये, या

(iii) जिन कारणों से अनुसंधान आरम्भ करने से इन्कार किया गया :

या

(iv) थाने को केस स्थानान्तरित किया गया(नाम):

जिला :

क्षेत्राधिकार की दृष्टि से

प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवादी/सूचना देने वाले को पढकर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और परिवादी/सूचना देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई :

पढकर सुनाया और सही पाया गया :

14 .

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
परिवादी/सूचना देने वाले का :

थाना प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम : राजेश दीक्षित
पद : उनि
नम्बर : 65523200

15 . न्यायालय में भेजने की दिनांक व समय :